न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 110/2023

1. शारदा पुत्री रोशन जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. मंजू पुत्री रोशन जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः—22.01.2026**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1044/0.31, 1208/0.23, 417/0.49, 465/0.78 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी हम वादिनीगण के पिता स्व0 रोशन की छोडी हुई आराजी है जो कि हम वादिनीगण को जरिये विरासत प्राप्त हुई है उक्त आराजी पर हम वादनीगण अपने पिता स्व0 रोशन के जीवनकाल से ही काबिज हो आज तक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। जब उक्त आराजी की मृतक रोशनलाल की मृत्यू के उपरान्त विरासत दर्ज हुई तो हम वादनीगण का नाम गांव में बोलचाल की भाषा में सरिता दर्ज कर दिया जबकि मुझ वादनी का नाम मेरे पहचान दस्ताबेज आधार राशन कार्ड एवं पहचान पत्र में शारदा है इसी प्रकार वादनी संख्या दो का उसके पहचान दस्तावेज में नाम मंजू है लेकिन वक्त विरासत दर्ज करते समय नामान्तरण में अंजू गलत दर्ज कर दिया है। जब हम वादनीगण प्राधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु ईमित्र पर गये तो उसके द्वारा जमाबंदी एवं आधार कार्ड में एक ही नाम कराने के लिये कहा। इसके पश्चात हम वादनीगण तहसीलदार उच्चैन के पास पहचान दस्ताबेज के आधार पर नाम सही करबाने हेतु गये तो उनके द्वारा जमाबंदी में नाम सही करने से इन्कार कर दिया एवं न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण वादनीगण ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.04.2025 को पैरोकार सरकार तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि वादी शारदा/सरिता एक की व्यक्ति, जिसे गांव में सरिता के नाम से बोला जाता है जबकि वास्तविक दस्ताबेज यथा आधार कार्ड में वादी का वास्तविक नाम शारदा दर्ज है। मंजु/अंजु एक ही व्यक्ति, जिसे गांव में अंजु के नाम से बोला जाता है, जबकि वास्तविक दस्तावेज यथा आधार कार्ड में वादी का वास्तविक नाम मंजु दर्ज है। जमाबंदी सम्बत्

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

2075–78 में मंजु के स्थान पर अंजु व शारदा के स्थान पर सरिता दर्ज है जो उस समय चढाये गये नामान्तरण के अनुसार है।

वादीगण के विद्वारा अभिभाषक की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने अपनी बहस के दौरान वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी वादीगण के पिता स्व0 रोशन की छोडी हुयी आराजी है जो कि जरिये विरासतन वादनीगण को प्राप्त हुयी है।उक्त आराजी पर हम वादनीगण अपने पिता स्व0 रोशन के जीवनकाल से ही काबिज हो आज तक निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। जब उक्त आराजी की मृतक रोशनलाल की मृत्यू के उपरान्त विरासत दर्ज हुई तो हम वादनीगण का नाम गांव में बोलचाल की भाषा में सरिता दर्ज कर दिया जबकि मुझ वादनी का नाम मेरे पहचान दस्ताबेज आधार राशन कार्ड एवं पहचान पत्र में शारदा है इसी प्रकार वादनी संख्या दो का उसके पहचान दस्तावेज में नाम मंजू है लेकिन वक्त विरासत दर्ज करते समय नामान्तरण में मंजू गलत दर्ज कर दिया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–78 के खाता संख्या 261 पहचान दस्ताबेज आधार कार्ड तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त जबाव एवं जबाव के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी के द्वारा मुताबिक मौका पर्चा व आधार कार्ड व लोगों से की गई जानकारी अनुसार सरिता के स्थान पर शारदा व अंजु के स्थान पर मंजु किया जाना उचित बताया है। वादनीगण का नाम सरिता के स्थान पर शारदा एवं अंजु के स्थान पर मंजू जमाबंदी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में आराजी खसरा नम्बर 1044/0.31, 1208/0.23, 417/0.49, 465/0.78 वाके ग्राम मुढेरा तहसील उच्चैन में खातेदार वादनीगण का नाम अंजू पुत्री रोशन एवं सरिता पुत्री रोशन को कलमजन कर उनके स्थान पर मंजू उर्फ अंजू पुत्री रोशनलाल एवं शारदा उर्फ सरिता पुत्री रोशन दर्ज रिकार्ड किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर.... मुकाम....उच्चैन, भरतपुर....

व इजलास....श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)....

....शारदा.... बनाम ....राज्य सरकार....

दावा बाबत् ....धारा 88, 89 RTA....

मुकदमा नं. ....110/2023.... सन्....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू....हजूर....

व हाजरी....श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड0.... मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता

है व डिकरी दी जाता है कि ....वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78 के आराजी ख0नं0 1044/0.31, 1208/0.23, 417/0.49, 465/0.78 वाके ग्राम मुढेरा तह0 उच्चैन में खातेदार वादनीगण का नाम अंजू पुत्री रोशन एवं सरिता पुत्री रोशन का [illegible] कर उनके स्थान पर मंजू उर्फ अंजू पुत्री रोशन-माल एवं शारदा उर्फ सरिता पुत्री रोशन दर्ज रिकार्ड किया जावे।

आज.... मुबलिग.... बाबत्....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज

की तारीख से तारीख बसूलयावी तक.... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....22.... माह....01.... वर्ष....2026....

को जारी की गई।

दस्तखत....[signature] सहायक कलक्टर....

ओहदा....उच्चैन (भरतपुर)....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर.........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 110/2023

1. शारदा पुत्री रोशन जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. मंजू पुत्री रोशन जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन।

.....प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)